छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 3941/जी-1249/2010/1-सूअप्र

रायपुर, दिनांक 22/12/2010

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषयः- सूचना का अधकार अधिनियम के तहत अनुरोध का निपटारा तथा अपील की सुनवाई निर्धारित समय में किये जाने के संबंध में।

शासन के ध्यान में यह बात आई है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों के जनसूचना अधिकारियों द्वारा आवेदकों को निर्धारित समय-सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसी तरह प्रथम अपील के प्रकरणों में अपीलीय अधिकारियों द्वारा भी अपील का निपटारा निर्धारित समय-सीमा में नहीं किया जा रहा है जिसके कारण आवेदकों को राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, यह स्थिति उचित नहीं है।

2/ अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अंतर्गत अनुरोध का निपटारा तथा प्रथम अपील का निपटारा धारा 19 के अनुसार निर्धारित समयावधि अर्थात् 30 दिवस के अंदर, भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (का. एवं प्र. विभाग) के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 5/10/2009 द्वारा जारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मार्गदर्शिका में दर्शित निम्नानुसार प्रक्रिया के अनुसार किया जाए:-

(1) आवेदनों के निपटानों के लिए कि जाने वाली प्रक्रिया

क्रं.सं.	परिस्थिति	आवेदन का निपटान करने हेतु समय-सीमा
1.	सामान्य स्थिति में सूचना की आपूर्ति	30 दिन
2.	यदि सूचना व्यक्ति के जीवन अथवा स्वातंत्र्य से संबंधित हो तो इसकी आपूर्ति	48 घंटे
	यदि आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से प्राप्त किया है तो सूचना की आपूर्ति	क्रं.सं. 1 तथा 2 पर दर्शायी गई समय अवधि में 5 दिन और जोड दिये जायेंगे

4.	यदि आवेदन/अनुरोध अन्य लोक प्राधिकरण से स्थानांतरित होने के बाद प्राप्त होते हैं तो सूचना की आपूर्ति (क) सामान्य स्थिति में (ख) यदि सूचना व्यक्ति के जीवन तथा स्वातंत्र्य से संबंधित हो	 (क) संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा आवेदन की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर (ख) संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा आवेदन की प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर
5.	दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट संगठनों द्वारा सूचना की आपूर्ति (क) यदि सूचना का संबंध मानव अधिकार उल्लंघन से हो (ख) यदि सूचना का संबंध भ्रष्टाचार के आरोपों से हो	 (क) आवेदन प्राप्ति के 45 दिन के भीतर (ख) आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर
6.	यदि सूचना तीसरी पार्टी से संबंधित हो तथा तीसरी पार्टी ने इसे गोपनीय माना हो तो सूचना की आपूर्ति	मार्गनिर्देशों के इस भाग के पैरा 23 से 28 में दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए मुहैया करवाई जाए
7.	ऐसी सूचना की आपूर्ति जिसमें आवेदक को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने को कहा गया हो	आवेदक को अतिरिक्त शुल्क के बारे में सूचित करने तथा आवेदक द्वारा अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के बीच की अवधि को उत्तर देने की दृष्टि से नहीं गिना जाएगा।

) प्रथम अपील के संबंध में प्रक्रिया

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपील पर निर्णय करना एक अर्ध न्यायिक कार्य है। इसलिए अपीलीय अधिकारी के ए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्याय केवल हो ही नहीं, बल्कि वह होते हुए दिखाई भी दे। इसके लिए अपीलीय अधिकारी रा पारित आदेश स्पीकिंग आर्डर होना चाहिए जिसमें निर्णय के पक्ष में समुचित तर्क दिये गए हों।

यदि कोई अपीलीय अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपीलकर्ता को लोक सूचना अधिकारी द्वारा भेजी गई जानकारी के तिरिक्त और जानकारी दी जाना अपेक्षित है तो वह या तो (i) लोक सूचना अधिकारी को ऐसी सूचना देने के लिए निर्देश दे सकता या (ii) अपीलकर्ता को स्वयं जानकारी भेज सकता है। पहली स्थिति में अपीलीय प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके रा आदेशित जानकारी अपीलकर्ता को शीघ्र भेजी जाए। हालांकि, यह बेहतर होगा कि अपीलीय प्राधिकारी कार्रवाई का दूसरा रास्ता पनाए और वह अपने द्वारा पारित आदेश के साथ ही जानकारी भेज दे।

यदि लोक सूचना अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को कार्यान्वित नहीं करता है और अपीलीय प्राधिकारी यह सूस करता है कि उसके आदेश को कार्यान्वित करवाने के लिए उच्चतर प्राधिकारी का हस्तक्षेप आवश्यक है तो उसे इस मामले को क प्राधिकरण के उस अधिकारी के ध्यान में लाना चाहिए जो लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने में सक्षम हो। ऐसे सक्षम धिकारी को चाहिए कि वह यथोचित कार्रवाई करे ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित किया जा सके।

पील के निपटान के लिए समय-सीमा

प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील का निपटान अपील प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर कर देना चाहिए। अपवाद रूप अपीलीय प्राधिकारी इसके निपटान के लिए 45 दिन का समय ले सकता है। तथापि, ऐसे मामलों में जिनमें अपील के निपटान में दिन से अधिक का समय लगता है. अपीलीय अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे विलम्ब के कारणों को लिखित रूप में

2/ कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

सही
(सैयद कौसर अली)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
रायपुर, दिनांक 22/12/2010

पृ.क. 3942/जी-1249/2010/1-सूअप्र

प्रतिलिपि :-

1/ सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, रायपुर, छत्तीसगढ़,
2/ मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, छ.ग. शासन, रायपुर,
3/ सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, शंकर नगर, रायपुर,
4/ सचिव, छ.ग. विधानसभा सचिवालय, रायपुर,
5/ आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क, छत्तीसगढ़,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सही
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग